

355

354



14/10/19



झारखण्ड JHARKHAND

03AA 058994

46 (12) 19
 23 I A with the
 permission by L.R.D.C.
 Sundege; vide case no. 44/18-19

order dt. 29-8-19

15/10/19
 विक्रय पत्र

एक रुपैया का न. जे स्टाम्प प्रोवाइजर
 वही न. के कार्ड पांच का टिकन के
 पिता जग है।



David Durgdangy
 12.10.2019

१।४ लेख्यकारी:- श्री डेविड डुंगडुंग पिता स्व० इग्नासियुस डुंगडुंग
 जाति- छड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सलडेगा
 मोदीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
 आधार कार्ड संख्या 8384 6294 8066

... .. बिक्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 214 /2019

होलिडिंग नं० 0030000627000एम००

अंचल डीए प्रेषित प्रतिबंधित
 की सूची में इस पत्र का समाव
 न गरी है 11/10/19

नाम- देविदुंग डुंग
 पिता- स्व: साजोग डुंग
 ग्राम- सलडेगा डेऊन देवी
 थाना- डेईडोली
 जिला- सिमडेगा
 ता: 12.10.2019

§2§ लेख्यधारिणी:- ललिता बुद्ध पति श्री अस्यन बुद्ध, जाति-
मुण्डा, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- जोकबहार डीपाटोली,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 4367 1501 8593

.. भारतीय नागरिक .. कृत्तिका ।

शमथ-पत्र संख्या:- 215/2019

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग चार लाख साठ हजार रुपये अर्थात् 4, 60, 000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्पत्ति:- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा मोदीटोली,
वार्ड नं० 3, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 117, सदर रजिस्ट्री
ऑफिस वी जिला- सिमडेगा के खाता नं० 47 §सैतालिस§ प्लॉट
नं० 1170 §ग्यारह सौ सत्तर§ रकबा 2.43 एकड़ में से 0.06 1/2
एकड़ §साढ़े छः डिसमिल§ आवासीय जमीन, जिसपर किसी
प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

दक्षिण:- प्लॉट नं० 1166 टांड,

पूरब :- सिलबेस्तर डुंगुंग का टांड,

पश्चिम:- मनसिष्ट समद का मकान बारी ।

मालगुजारी 1.00 रुपया §एक रुपया§ अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री

नहीं किया हूँ । वर्तमान में कार्ड नं. 4 में दर्ज है ।

नगर मूल्य माफ़ किया
जो कि मिलान किया गया है
N. R. S. S. S. विभाग का है
14/10/19

नाम- भौहर बुद्ध
पिता- सित्तुसा बुद्ध
ग्राम- बोझीवाँकरा
थाना- हॉट्टे डंगर
जिला- सिमडेगा

David Dunsy
12/10/2019

दिनांक- 12/10/2019

§ 18 चूंकि मुझ लेख्यकारी को बकान बनाने एवं कर्ज अदा करने के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§ 28 इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न को कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 38 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मुश्मात पाल्हो खड़ियाईन लीजे लोदरो खड़िया के नाम से नाप दर्ज है । मैं उनका परपोता हूँ । वर्तमान जमाबंदी इग्नेस खड़िया नो सिलवेस्तर खड़िया के नाम से चल रहा है । इग्नेस खड़िया मेरे पिता थे । मालगुजारी रसीद इग्नेस खड़िया वो सिलवेस्तर खड़िया के नाम से कटता है जो पंजी 11 के भौल्युम संख्या । पेज संख्या 48 में दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकारी के हैसियत से आपसी मौलिक म्यादी बंटवारा में मुझे मिला है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है तथा लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानिब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

David D. Singh
12/10/2019

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाह्वर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 441/2018-19 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 29.8.19 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 650/11 दिनांक 29.8.19 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काकिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज करवाकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला कैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है।

David Dzunglang
12/10/2019

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

David Durgasingh
12/10/2019

David Durgasingh
12/10/2019



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी डेविड डुर्गासिंग के काररे हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप पर खपत लिया गया।


Anup Kumar Toppo
Advocate

12/10/2019

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Lalita Burih

12/10/2019



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ललिता बुरिह के काररे हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप पर खपत लिया गया।

Anup Kumar Toppo
Advocate

12/10/2019

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Anup Kumar Doppo

प्रारूपकर्ता

तारीख:- 12/10/2019

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्ड रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मौ० मकसुद
12/10/2019
मौ० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. बिक्रेता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. क्रेता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
3. पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
4. गवाह के आधार कार्ड का छायाप्रति,
5. खतियान का छायाप्रति,
6. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
7. शेड्यूल का मूल प्रति,
8. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
9. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
10. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
11. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
12. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,
13. क्रेता का शमथ-पत्र

Deepak Dey Singh
12/10/2019